प्रेषक,

नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2024

विषयः अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—746/सी0ई0ओ0-3-13/3-2023, दिनांक-29 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई एवं यात्रा व्यय के लिए रू0—72,07,000/- (रुपये बहत्तर लाख सात हजार मात्र) के सापेक्ष 17,37,000 (रुपये सत्रह लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी ।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में एवं उसी कार्य के लिये किया जायेगा ।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तरदायी होंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा ।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.3.2024 तक कर लिया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2015001030400 (विधान परिषद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001030400 विधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	4,25,000 (रुपये चार लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	041	2015001030400 विधान परिषद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,000 (रुपये दो हजार मात्र)
	कुल			**4,27,000 (रुपये चार लाख सत्ताईस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
2	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
	कुल			**13,10,000 (रुपये तेरह लाख दस हजार**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				मात्र)

महायोग	**17,37,000** **(रुपये सत्रह लाख सैंतीस हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:-प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1)

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-01/2024/06(1) /61-2024-002-01-Reappropriation-2023-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।